एजेण्डा बिन्दु

एजेण्डा बिन्दु सं०–1 राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की प्राधिकृत समिति की विगत बैठक दिनांक 27–11–2017 के कार्यवृत्त के परिचलन की पुष्टि।

उत्तराखण्ड शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के पृष्ठांकन संख्या–2089/VII–2–17/58–एम.एस.एम.ई./2015 दिनांक 5 दिसम्बर, 2017 से बैठक का कार्यवृत्त सभी सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, विभागाध्यक्षों तथा बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को प्रेषित किया जा चुका है, जिसकी पुष्टि का अनुरोध है।

एजेण्डा बिन्दु सं०–2 राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की प्राधिकृत समिति की विगत बैठक दिनांक 27–11–2017 में लिये गये निर्णयों की अनुवर्ती आख्या।

जिला उद्योग मित्र को और अधिक प्रभावी बनाकर जिला स्तर पर बैठकों का निर्धारित समय सारणी के अनुसार नियमित रूप से आयोजन किया जाए।

समय सारिणी के अनुसार जिला उद्योग केन्द्र समिति की बैठक के नियमित आयोजन के लिए महानिदेशक/आयुक्त उद्योग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–4369–सी दिनांक 22 जनवरी, 2018 तथा प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–4810–सी दिनांक 15 फरवरी, 2018 से समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया था। जनवरी, 2018 से जनपदवार जिला स्तर पर आयोजित जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र. सं.	जनपद	जनवरी, 2018 से जून, 2018 तक आयोजित बैठकों	
		संख्या	दिनांक
1.	नैनीताल	1	9.3.2018
2.	उद्यमसिंहनगर	2	22.2.2018, 22.5.2018
3.	अल्मोड़ा	1	25.4.2018
4.	पिथौरागढ़	–	–
5.	बागेश्वर	2	30.1.2018, 30.1.2018
6.	चम्पावत	3	10.1.2018, 9.2.2018, 7.6.2018
7.	देहरादून	2	31.1.2018, 4.6.2018
8.	पौड़ी	1	22.2.2018
9.	टिहरी	2	25.1.2018, 11.6.2018
10.	चमोली	2	10.1.2018, 25.6.2018
11.	रूद्रप्रयाग	1	28.2.2018
12.	हरिद्वार	1	23.3.2018
13.	उत्तरकाशी	1	8.6.2018
	योगः–		

निदेशक उद्योग के स्तर पर भी जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाए।

जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन की निदेशालय स्तर पर महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्रों की आयोजित सहवर्गीय बैठक तथा वीडियो कांफ्रैंसिंग में समीक्षा की

	जा रही है।
जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक में सभी विभागों के वरिष्ठतम अधिकारी प्रतिभाग करें।	जिला उद्योग केन्द्रों से प्राप्त सूचनानुसार जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक में सदस्य सभी विभागों के वरिष्ठतम अधिकारी प्रतिभाग कर रहे हैं।
जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु अनुश्रवण किया जाए। बैठक में कितने मामले आए हैं तथा उसमें से कितने मामले निस्तारित हुए हैं का एम.आई.एस. तैयार किया जाए।	एम.आई.एस. साफ्टवेयर तैयार किया जा चुका है एवं डाटा फीडिंग का कार्य गतिमान है।
जिला उद्योग मित्र समिति की कब–कब बैठकें हुई, उन बैठकों में कितने वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हुए थे और यदि बैठक में उपस्थित नहीं हुए तो उसका भी विवरण उद्योग निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए।	दिये गये निर्देशों के अनुपालन की समय–समय पर समीक्षा की जा रही है।
यह निर्देश जारी करें कि जब जिला स्तरीय उद्योग मित्र की बैठक हो तो अधिकारी अपना यात्रा कार्यक्रम न लगाएँ।	इस सम्बन्ध में महानिदेशक/आयुक्त उद्योग के पत्र संख्या–4369–सी दिनांक 22 जनवरी, 2018 से जिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित कर निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कहा गया है।
शासन/निदेशालय स्तर से जिला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठकों के आयोजन के सम्बन्ध में चर्चा की जाए।	निर्देशों के अनुपालन हेतु कार्यवाही की जा रही है।
गृह विभाग	
औद्योगिक क्षेत्र भगवानपुर में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना हेतु शासन द्वारा शीघ्र ही स्वीकृति जारी की जाए। निर्देश दिए गए कि इस प्रकरण को आगामी बैठक से पूर्व निस्तारित कर दिया जाए।	उद्योग निदेशालय के पत्र संख्या–4367 दिनांक 22 जनवरी, 2018 से अपर सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन तथा प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–4810–सी दिनांक 15 फरवरी, 2018 से बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन तथा अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित विभागों तथा प्रमुख सचिव/सचिव को पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया गया था। उक्त के क्रम में अपर सचिव, गृह अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–468 दिनांक 19 फरवरी, 2018 से सूचित किया गया है कि भगवानपुर हरिद्वार में फायर स्टेशन की स्थापना के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अग्नि शमन एवं आपात सेवा विभाग से आवर्तक/अनावर्तक व्यय भार सहित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। फायर स्टेशन की स्थापना हेतु उत्तराखण्ड शासन के परामर्शीय विभाग वित्त से सहमति प्राप्त किये जाने हेतु पत्रावली वित्त विभाग को सन्दर्भित की गई है।

औद्योगिक क्षेत्र रायपुर/लकेशरी के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–73 पर युकेलिप्टस के पेड़ों के पातन की स्वीकृति वन विभाग द्वारा जारी कर दी गई है तथा पेड़ों का पातन कर लिया गया है।

प्रकरण निस्तारित हो चुका है।

सिडकुल

सिडकुल हरिद्वार में अग्निशमन केन्द्र के कार्मिकों हेतु आवास के लिए सिडकुल धनराशि की व्यवस्था नहीं कर सकता। अग्निशमन विभाग कार्मिकों के आवास के लिए शासन को प्रस्ताव प्रस्तुत कर बजट की माँग करे।

उद्योग निदेशालय के पत्र संख्या–4370 दिनांक 22 जनवरी, 2018 तथा प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–4810–सी दिनांक 15 फरवरी, 2018 से बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन तथा अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग/सिडकुल को पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया गया था।

अग्निशमन विभाग के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

औद्योगिक क्षेत्र बहादराबाद में भूखण्डों को किराए पर (subletting) में दिए जाने के लिए निर्धारित शुल्क में कमी किए जाने के सम्बन्ध में सिडकुल परीक्षण कर समुचित कार्यवाही करे।

सिडकुल द्वारा विकसित किये गये औद्योगिक क्षेत्र में सबलेटिंग चार्ज का निर्धारण सिडकुल बोर्ड द्वारा किया गया है तथा इसी के तहत औद्योगिक क्षेत्र, बहादराबाद में भी भूखण्डों को किराये पर (सबलेटिंग) में दिये जाने हेतु निर्धारित शुल्क सिडकुल द्वारा लिया जाता है। सिडकुल की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए तथा औद्योगिक पैकेज समाप्त होने के उपरान्त भूखण्ड की बिक्री में कमी आने के कारण सिडकुल द्वारा सबलेटिंग चार्ज में कमी किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

औद्योगिक क्षेत्र बहादराबाद में पूर्व में आवंटित ऐसे सभी भूखण्डों जिन पर आंवटियों द्वारा उद्यम स्थापना का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में सिडकुल यथाशीघ्र निर्णय लेकर आवश्यक कार्यवाही करे।

बहादराबाद औद्योगिक क्षेत्र में ऐसे आवंटित भूखण्ड जिनमें आवंटन के बाद उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया गया है, उन्हें निरस्त करने हेतु नियमानुसार 60 दिन का नोटिस प्रेषित किया जा चुका है। इसके उपरान्त ही भूखण्ड के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

औद्योगिक क्षेत्र बहादराबाद के सर्किल रेट में की गई वृद्धि की आगामी तीन माह में समीक्षा कर ली जाए। समीक्षा पर सर्किल रेट में बढ़ोतरी से यदि यह दृष्टिगत होता है कि इससे औद्योगिकरण प्रभावित हो रहा है तो तब इस पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा।

औद्योगिक क्षेत्र, बहादराबाद के सर्किल रेट कम करने की मांग के संदर्भ में अवगत कराना है कि वर्तमान में बहादराबाद औद्योगिक क्षेत्र में सारे प्लाट आवंटित हैं, इसलिए सर्किल रेट का उद्यमियों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि इसके समीप एकीकृत औद्योगिक आस्थान, हरिद्वार एवं हरिद्वार इण्डस्ट्रियल स्टेट के भी सर्किल रेट इसी अनुरूप एक समान है।

एकीकृत औद्योगिक आस्थान, हरिद्वार में स्थापित सी.ई.टी.पी. सुविधा के सिड़कुल से बाहर उद्योगों को उपयोग की अनुमति दिए जाने के सम्बन्ध में सिडकुल द्वारा सहमति व्यक्त की गई। सिडकुल द्वारा इस सम्बन्ध में

वर्तमान में आई.आई.ई., सिडकुल, हरिद्वार में स्थापित औद्योगिक इकाईयों को सी.ई.टी.पी. की सुविधा दी जा रही है। इससे लगे औद्योगिक क्षेत्र, बहादराबाद, औद्योगिक क्षेत्र, हरिद्वार साईट–2 एवं प्राईवेट औद्योगिक क्षेत्र आई.पी.–2, है जहां पर कोई भी ट्रीटमेन्ट प्लांट नहीं है तथा उद्योग संघों द्वारा सिडकुल से बाहर के उद्योगों को अनुमति दी जाने की मांग की जा रही है। इस सम्बन्ध में अवगत

आवश्यक कार्यवाही की जाए।

कराना है कि सी.ई.टी.पी. सिडकुल की क्षमता 4.5 एम.एल.डी. है, जिसमें वर्तमान में लगभग 3.5 एम.एल.डी. effluent आ रहा है। यदि इसको बहादराबाद एवं हरिद्वार साईट–2 आदि से जोड़ा जाता है, तो इसमें सीवर लाईन बिछाने तथा पम्प स्टेशन स्थापित करने में अत्याधिक खर्च की सम्भावना है तथा उक्त औद्योगिक क्षेत्र सी.ई.टी.पी. सिडकुल से दूर होने के कारण तथा उक्त स्थानों पर भूमि एवं रोड़ अन्य विभागों के स्वामित्व में होने के कारण सम्बन्धित विभागों से सीवर नेटवर्क बिछाने एवं पम्प स्टेशन स्थापित करने हेतु भूमि एवं अनापत्ति की आवश्यकता होगी। अतः उक्त कारणों को मध्यनजर रखते हुए सी.ई.टी.पी. से संयोजित करना व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/लो.नि.वि.

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–121 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–24 (मुरादाबाद) तक बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से माननीय केन्द्रीय मंत्री सड़क परिवहन को पत्र भेजे जाने हेतु पत्रालेख तैयार कर प्रस्तुत किया जाए। यह प्रयास किया जाएगा कि इस राजमार्ग तक राष्ट्रीय राजमार्ग–121 का विस्तार किया जाए।

उद्योग निदेशालय के पत्र संख्या–4371–72 दिनांक 22 जनवरी, 2018 से मुख्य महाप्रबन्धक (तकनीकी), क्षेत्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून एवं प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून और प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–4810–सी दिनांक 15 फरवरी, 2018 से सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव को बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन तथा अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया गया था। सम्बन्धित विभाग से अनुपालन आख्या अपेक्षित है।

रूद्रपुर से रामपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–87 के सुदृढीकरण/निर्माण के सम्बन्ध में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/लोक निर्माण विभाग विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करे, ताकि राज्य सरकार इसे उत्तरप्रदेश सरकार के साथ Take-up कर सके।

–तदैव–

हरिद्वार/आई.एस.बी.टी. फोर लेन का निर्माण कार्य करने वाली कम्पनी का अनुबन्ध समाप्त किए जाने पर कम्पनी द्वारा उच्च न्यायालय से स्थगनादेश लिया गया है। इस राजमार्ग के निर्माण के लिए नई निविदा जारी की गई थी, किन्तु स्थगनादेश होने के कारण आगे कार्यवाही नहीं की जा सकी है। निर्देश दिए गए कि प्रकरण के निस्तारण के लिए अनुश्रवण कर राज्य सरकार की ओर से तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जाए।

–तदैव–

राष्ट्रीय राजमार्ग–72 पोंटा–हरिद्वार–रूड़की के निमार्ण के लिए प्रारम्भिक डी.पी.आर.

–तदैव–

तैयार हो गया है किन्तु इस पर निर्माणकर्ता संस्था द्वारा कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की गई है। राजमार्ग के निर्माण के लिए नया डी. पी.आर. तैयार किया जाना है। निर्देश दिए गए कि इस पर तुरन्त कार्यवाही की जाए तथा राजमार्ग की प्रास्थिति के सम्बन्ध में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एक नोट प्रमुख सचिव, एम. एस.एम.ई. को दे दें।

अजबपुर रेलवे फ्लाईओवर का कार्य प्रगति पर है तथा अगस्त 2018 तक कार्य पूर्ण हो जाएगा। निर्देश दिए गए कि फ्लाईओवर के निर्माण का कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अवश्य पूर्ण कर लिया जाए। –तदैव–

देहरादून–दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु राज्य सरकार अनुश्रवण कर रही है। निर्माण कार्य के लिए धनराशि भी आवंटित कर दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा राज्य सरकार अनुश्रवण कर राजमार्ग के निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। –तदैव–

काशीपुर से रूद्रपुर के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–74 में गदरपुर बाईपास से किच्छा बाईपास से निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। इसका निर्माण कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। निर्देश दिए गए कि Contractor को mobilize कर कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाए। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी उद्यमसिंह नगर को भी पत्र प्रेषित कर कार्य में गति लाए जाने हेतु अनुश्रवण करने को कहा जाए। –तदैव–

महुआखेड़ा रेलवे क्रॉसिंग से खाईखेड़ तक जर्जर सड़क की मरम्मत/पुर्ननिर्माण के लिए डी.पी.आर. बनाकर ए.डी.बी. को भेजी गई है। निर्देश दिए गए कि सड़क के मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण के लिए तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ की जाए। –तदैव–

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग

मैग्नासाईट व सोप स्टोन के भण्डारण उद्योग निदेशालय के पत्र संख्या–4376 दिनांक 22 जनवरी,

हेतु पंजीकरण की बाध्यता के प्रकरण पर भूतत्व एव खनिकर्म विभाग प्रमुख सचिव एम.एस.एम.ई. को तथ्यों से अवगत कराते हुए समस्या के समाधान हेतु तत्काल उचित कार्यवाही कर प्रकरण का निस्तारण करें।

2018 से निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, भोपाल पानी, उत्तराखण्ड, देहरादून तथा प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–4810–सी दिनांक 15 फरवरी, 2018 से सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव को बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन तथा अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया गया था। सम्बन्धित विभाग से अनुपालन आख्या अपेक्षित है।

सिडकुल/परिवहन विभाग

Dedicated freight corridor से संयुज्जता के लिए सी.आई.आई. द्वारा रेलवे बोर्ड से पूर्व में चर्चा कर इस सम्बन्ध में प्रयास किया गया था। हरिद्वार में बी.एच.ई.एल. से 35 एकड़ जमीन प्राप्त कर मल्टी–लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाना है और फिर वहाँ से सहारनपुर तक रेल लाईन बनायी जानी है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी और बी.एच.ई.एल. भूमि देने हेतु सहमत था। निर्देश दिए गए कि एक माह के अन्दर इस प्रकरण पर विचार कर निर्णय ले लिया जाए। राज्य सरकार की ओर से भी प्रकरण में Initiative लेकर रेलवे बोर्ड से अनुश्रवण किया जाए।

उद्योग निदेशालय के पत्र संख्या–4219–20 दिनांक 10 जनवरी, 2018 से प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून तथा आयुक्त, परिवहन विभाग, देहरादून तथा प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–4810–सी दिनांक 15 फरवरी, 2018 से सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव को बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन तथा अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया गया था।

उक्त के क्रम में अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र संख्या–71 दिनांक 9 फरवरी, 2018 से अनु सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को पत्र प्रेषित कर अवगत कराया गया है कि रेल परियोजनाओं से सम्बन्धित कार्य शासन स्तर से व्यवहृत किये जा रहे हैं। पत्र की प्रति उद्योग निदेशालय को भी पृष्ठांकित की गई है।

महाप्रबन्धक, सिडकुल, देहरादून के पत्र संख्या–867 दिनांक 25–6–2018 से अवगत कराया गया है कि हरिद्वार में बी.एच.ई.एल. से 35 एकड़ जमीन प्राप्त कर मल्टी लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसके क्रम में सिडकुल कॉनकॉर एवं बी.एच.ई.एल. के प्रतिनिधियों द्वारा एम.एम.एल.पी. निर्माण हेतु बी.एच.ई.एल. के अधीन लगभग 30–35 एकड़ भूमि का संयुक्त भ्रमण किया गया। तत्समय भ्रमण के दौरान बी.एच.ई.एल. के प्रतिनिधियों द्वारा उक्त पर मौखिक सहमति व्यक्त की गई थी। साथ ही संज्ञान में लाना है कि उक्त क्षेत्र जिला हरिद्वार के टिबरी में स्थित है एवं जिस पर रेलवे लाईन भी स्थापित है, जो कि एम.एम.एल.पी. निर्माण के दृष्टिगत उपयुक्त प्रतीत होता है।

समय–समय पर इस सम्बन्ध में कई बैठकों का आयोजन भी किया गया परन्तु वर्तमान तक बी.एच.ई.एल. से भूमि का हस्तांतरण नहीं हो पाया है। तत्क्रम में बी.एच.ई.एल. द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि उनके निदेशक मण्डल द्वारा उक्त क्षेत्र पर एम.एम. एल.पी. निर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण की सहमति प्रदान नहीं की गई है। अतः अपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जब तक भूमि का चिन्हिकरण नहीं हो

जाता, तब तक उक्त पर कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

सिडकुल/यू.पी.सी.एल./पिटकुल

सेलाकुई में 220 के.वी.ए. के निर्माण के लिए यू.पी.सी.एल. ने भूमि आवंटन हेतु सिडकुल से अनुरोध किया गया है। सिडकुल द्वारा आश्वासन दिया गया कि सब स्टेशन के निर्माण के लिए 0.3 है. भूमि शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जायेगी।

महानिदेशक/आयुक्त उद्योग के पत्र संख्या–4370 दिनांक 22 जनवरी, 2018 तथा पत्र संख्या–4379–80 दिनांक 22 जनवरी, 2018 से प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल तथा प्रबन्ध निदेशक, यू.पी.सी.एल./पिटकुल को तथा तथा प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–4810–सी दिनांक 15 फरवरी, 2018 से सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव को बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन तथा अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया गया था।

उक्त के क्रम में महाप्रबन्धक, सिडकुल, देहरादून के पत्र संख्या–867 दिनांक 25–6–2018 से अवगत कराया गया है कि सेलाकुई में 220 के.वी. के निर्माण के लिए सिडकुल द्वारा यू.पी.सी.एल. को भूमि आवंटित की जा चुकी है। इसमें अग्रिम कार्यवाही यू.पी.सी.एल. द्वारा की जा चुकी है।

सिडकुल हरिद्वार में 40 एम.वी.ए. ट्रांसफार्मर स्थापना का कार्य 9 माह में पूरा हो जाएगा। पदार्था में भी 160 एम.वी.ए. का सब स्टेशन बन रहा है, जिसे बाद में सिडकुल से जोड़ दिया जाएगा।

महानिदेशक/आयुक्त उद्योग के पत्र संख्या–4379–80 दिनांक 22 जनवरी, 2018 से प्रबन्ध निदेशक, यू.पी.सी.एल./पिटकुल को तथा तथा प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–4810–सी दिनांक 15 फरवरी, 2018 से सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव को बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन तथा अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया गया था। सम्बन्धित विभाग से अनुपालन आख्या अपेक्षित है।

नए विद्युत संयोजनों, विद्युत भार, बढ़ोतरी/कमी के प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण हेतु जिन मामलों में विलम्ब हो रहा है, से सम्बन्धित specific matters प्रमुख सचिव एम.एस.एम.ई. के संज्ञान में लाये जाए। विद्युत संयोजनों के लिए आवेदन करने तथा शुल्क बाद में अलग से जमा करने के कारण विद्युत संयोजन मिलने में विलम्ब के समाधान के लिए आवेदन पत्र देने के साथ ही शुल्क जमा करने की ऑनलाईन व्यवस्था की जाए।

–तदैव–

वाणिज्यिक कर

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003 में उत्तराखण्ड राज्य के लिए स्वीकृत विशेष

उद्योग निदेशालय के पत्र संख्या–4215 दिनांक 10 जनवरी, 2018 से आयुक्त कर, उत्तराखण्ड तथा प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं

औद्योगिक पैकेज में प्रदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट की सुविधा जी.एस.टी. लागू होने के बाद समाप्त हो गयी है। भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड, हिमांचल प्रदेश सहित उत्तर पूर्वी राज्यों में अवस्थित ईकाइयों के लिए वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत बजटीय सहायता स्कीम स्वीकृत की है। इस स्कीम के तहत सी. जी.एस.टी. के अन्तर्गत भारत सरकार को प्राप्त केन्द्रीय कर में से 58 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति पात्र ईकाइयों को अवशेषी अवधि के लिए किए जाने का प्राविधान किया गया है। जी.एस.टी. परिषद ने ऐसी ईकाइयों के लिए बजटीय सहायता स्कीमों को अधिसूचित करने का कार्य केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया है। जी.एस.टी. के तहत राज्य की ओर से बजटीय सहायता स्वीकृत किए जाने तथा राज्य सरकार की नीतियों के अन्तर्गत प्रदत्त मूल्य वर्धित कर की प्रतिपूर्ति से राज्य के ऊपर अत्यधिक आर्थिक भार पड़ना है। अतः इस पर राज्य सरकार समुचित विचार विमर्श के उपरान्त उचित निर्णय लेगी।

मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–4810–सी दिनांक 15 फरवरी, 2018 से सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव को बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन तथा अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया गया था।

उक्त के क्रम में आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–5564 दिनांक 15 फरवरी, 2018 से अवगत कराया गया है कि: बिन्दु संख्या–1 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जीएसटी प्रभावी होने के उपरान्त भारत सरकार, वित मंत्रालय की अधिसूचना संख्या–21/2017 दिनांक 18–7–2017 के द्वारा अधिसूचना संख्या–49/2003 दिनांक 10–6–2003 को निरसित किया जाना अधिससूचित किया गया है। इस प्रकार राज्य में अवस्थित औद्योगिक इकाईयोंको अधिसूचना संख्या–49/2003 दिनांक 10–6–2003 के द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में प्राप्त छूट को समाप्त कर दिया गया है। उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित कई विनिर्माता इकाईयां उक्त छूट के लिए दिनांक 31 मार्च, 2020 तक तक अर्ह थी, जीएसटी के अधीन उक्त छूट की अनुपलब्धता की स्थिति ऐसी इकाईयों के लिए लाभप्रद नहीं थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 5 अक्टूबर, 2017 के द्वारा जम्मू–कश्मीर, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित इकाईयों को माल और सेवा कर व्यवस्था के अधीन बजटीय सहायता की योजना प्रख्यापित की गई थी, जिसके अधीन क्षेत्र आधारित छूट प्राप्त उक्त इकाईयों को छूट की अवशेष अवधि के लिए सी.जी.एस.टी. एवं आई.जी.एस.टी. के अन्तर्गत जमा कर के सापेक्ष क्रमशः 58 एवं 29 प्रतिशत की धनराशि की प्रतिपूर्ति करने सम्बन्धी अधिसूचना जारी की गई है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा शेष के सम्बन्ध में यदि राज्य सरकार चाहे तो अवशेष 42 प्रतिशत अंश अपने बजट से रीइम्बर्स कर सकने सम्बन्धी मत व्यक्त किया गया है, जिसके पीछे उनके द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का 58 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा रखा जाता है एवं अवशेष 42 प्रतिशत राज्यों के मध्यम वितरित कर दिया जाता है, परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया उक्त तर्क असंगत है क्योंकि जी.एस.टी. व्यवस्था के अधीन उक्त 42 प्रतिशत अवशेष सी. जी.एस.टी. वास्तव में केन्द्रीय सरकार का कर है। यह मत इसलिए भी युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि जी.एस.टी. प्रणाली लागू होने के पूर्व अर्ह विनिर्माण इकाईयों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में शत–प्रतिशत छूट प्राप्त थी, जो कि 31 मार्च, 2020 तक लागू थी एवं यदि जी.एस.टी. लागू नहीं होता, तो केन्द्र को प्राप्त होने वाला उक्त सी.जी.एस.टी. प्राप्त हीं नहीं होता। अतः सी.जी.एस.टी. के 42 प्रतिशत भाग की राज्य द्वारा प्रतिपूर्ति किये जाने विषयक निर्वचन पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है। इसके

अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य में निर्माता इकाईयों द्वारा अधिकतम अन्तर्राज्जीय बिक्री की जाती है, ऐसी स्थिति में राज्य को जी.एस.टी. प्रणाली के अन्तर्गत लगभग कोई कर प्राप्त नहीं होगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य सरकार को वह राशि रीइम्बर्स करनी होगी जो राजकोष में प्राप्त ही नहीं हुई है, इस प्रकार राज्य को अपने बजट से इस राशि का रीइम्बर्स करना पड़ेगा, जो कि औचित्यपूर्ण नहीं होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य की विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 (यथा संशोधित 2011) तथा एम.एस.एम.ई. नीति–2015 (यथा संशोधित 2016) में प्रदत्त मूल्यवर्धित कर से छूट के स्थान पर माल और सेवा कर के प्राविधान लागू हो जाने के फलस्वरूप माल/सेवाओं पर अधिरोपित एस.जी.एस.टी. के भाग की आई.टी.सी. के समायोजन के पश्चात् प्रतिपूर्ति हेतु उत्तराखण्ड शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–895 दिनांक 11 मई, 2018 से उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माणक उद्यम माल और सेवा कर प्रतिपूर्ति दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

जी.एस.टी. से बाहर रखे गए ऐसे उत्पादों, जिन्हें राज्य के विनिर्माणक उद्योगों द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है, में पूर्व की भाँति Concessional Rate पर क्रय करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग परीक्षण के उपरान्त शीघ्र ही यथोचित निर्णय लेगा।

जी.एस.टी. से बाहर रखे गये ऐसे उत्पादों, जिन्हें राज्य के विनिर्माणक उद्योगों द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है, को पूर्व की भांति रियायती दर पर डीजल तथा प्राकृतिक गैस क्रय करने की सुविधा दिये जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–1000 दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 तथा अधिसूचना संख्या–1001 दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 द्वारा विनिर्माता इकाईयों द्वारा कर की दर कतिपय शर्तों के अधीन 5 प्रतिशत विहित की गई है।

वन विभाग/उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नए वर्गीकरण के अंगीकरण हेतु जारी निर्देशों में दून घाटी क्षेत्र को सम्मिलित न किए के प्रकरण पर वन विभाग उद्योग संघों के साथ बैठक कर इसका समाधान करे।

उद्योग निदेशालय के पत्र संख्या–4208–09 दिनांक 10 जनवरी, 2018 से सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा प्रमुख वन संरक्षक, वन, उत्तराखण्ड को तथा प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–4810–सी दिनांक 15 फरवरी, 2018 से सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव को बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन तथा अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया गया था। सम्बन्धित विभाग से अनुपालन आख्या अपेक्षित है।

ई. एण्ड वाई./ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

वायु, जल एवं Hazardous Management Act के अन्तर्गत आवेदन हेतु एक ही कॉमन एप्लीकेश फॉर्म होने के कारण उद्यमियों के सम्मुख आ रही दिक्कतों के समाधान हेतु ई.

पूर्व में एन.आई.सी. गुजरात से कनक्टिविटी होने के कारण ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत आ रही थी। एन.आई.सी., गुजरात से एन.आई.सी., देहरादून को सिस्टम से जोड़ने के लिए एन.आई.सी., देहरादून में सिस्टम अधिष्ठापित कर दिया गया है। समस्याओं के

एण्ड वाई. तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिंगल विण्डो सिस्टम के सॉफ्टवेयर में आवश्यक सुधार कर इसका समाधान करें।	निदान हेतु व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयास किये जा रहे हैं तथा शीघ्र ही आ रही दिक्कतों का समाधान हो जायेगा।
जैव विविधता परिषद	
उत्तराखण्ड जैव विविधता परिषद द्वारा विधिक औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना 800 से अधिक उद्योगों को सेस के भुगतान के लिए विधिक कार्यवाही के नोटिस दिए गए हैं तथा उद्योगों के प्रत्यावेदनों पर भी काई उत्तर नहीं दिया जा रहा है। निर्देश दिए गए कि परिषद एक्ट के तथ्यों के व्यापक प्रचार प्रसार के साथ ही उद्योगपतियों के सुझाव को भी संज्ञान में लें। एक्ट के प्राविधानों तथा उत्तराखण्ड के संदर्भ में इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों की सूची भी बेवसाइट पर प्रदर्शित की जाए। बिना आधार एवं तथ्यों के नोटिस जारी करने से ईज ऑफ डुइंग बिजनेस का माहौल भी प्रभावित हो रहा है अतः Casual आधार पर नोटिस न देकर सभी तथ्यों से इस अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित होने वाली इकाईयों को कानून के पालन के अनुपालन के लिए आवश्यक सूचना अवश्य दी जाए ताकि अधिनियम का उल्लंघन भी न हो।	महानिदेशक/आयुक्त उद्योग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–4377 दिनांक 22 जनवरी, 2018 से जैविक उत्पाद परिषद्, देहरादून तथा प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–4810–सी दिनांक 15 फरवरी, 2018 से सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव को बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन तथा अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया गया था। सम्बन्धित विभाग से अनुपालन आख्या अपेक्षित है।
कृषि विभाग	
चावल निर्यात नीति के निर्धारण के सम्बन्ध में कृषि विभाग प्रमुख सचिव, एम.एस. एम.ई. को तथ्यों की जानकारी देते हुए अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करें।	महानिदेशक/आयुक्त उद्योग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–4374 दिनांक 22 जनवरी, 2018 से निदेशक, कृषि, उत्तराखण्ड को तथा प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–4810–सी दिनांक 15 फरवरी, 2018 से बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन तथा अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव को पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया गया था। सम्बन्धित विभाग से अनुपालन आख्या अपेक्षित है।
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
बैंकों से उद्योगों को आवश्यक्तानुसार समयबद्ध रूप से वित्त पोषण के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में चर्चा कर बैंकों को वित्त पोषण के लिए निर्देश देने हेतु कहा जाए।	महानिदेशक/आयुक्त उद्योग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–4375 दिनांक 22 जनवरी, 2018 से महाप्रबन्धक/संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, भारतीय स्टेट बैंक, आंचलिक कार्यालय, देहरादून को पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया गया था। सम्बन्धित से अनुपालन आख्या अपेक्षित है।

समस्त विभाग/उपक्रम

क्रय वरीयता नीति–2004 के क्रियान्वयन हेतु वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशासकीय पत्र संख्या–377/सत्ताइस(7)/दिनांक 19 जुलाई 2017 से सहमति दे दी गई है और तदसम्बन्ध में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग शासन के पत्र संख्या–1314/ 7–2–17/ 143–उद्योग/2003 दिनांक 27 जुलाई 2017 से समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव तथा विभाग अध्यक्षों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

शासन द्वारा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव तथा विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

श्रम विभाग

राज्य के अन्य जिलों में राज्य कर्मचारी बीमा योजना क्रियान्वित किए जाने के सम्बन्ध में श्रम विभाग परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करे।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम भारत सरकार के पत्र दिनांक 27–1–2012 द्वारा उत्तर पूर्वी राज्यों एवं अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में औषधालय खोले जाने हेतु बीमांकितों की संख्या न्यूनतम 1000 निर्धारित है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि राज्य के पर्वतीय जिलों जहां उक्तानुसार बीमांकितों की निर्धारित संख्या उपलब्ध न होपाने के कारण औषधालय खोला जाना सम्भव नहीं है। उक्त स्थानों पर सचल औषधालयों के माध्यम से चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में कर्मचारी राज्य बीमा निगम उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय परिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 18–12–2017 में 4 सचल औषधालयों हेतु चिकित्सीय सुविधायुक्त 4 मोबाईल वैन के प्रस्ताव एवं सचल औषधालयों की सुविधा पीपीपी मोड पर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्णय लिया गया, जिस हेतु निदेशक, ईएसआई से शासन के पत्र दिनांक 9–3–2018 द्वारा आख्या मांगी गयी है, जो आतिथि अप्राप्त है।

राज्य कर्मचारी बीमा निगम के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने तथा अस्पतालों की संख्या बढ़ाए जाने के प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाएँ। ई.एस.आई. अस्पतालों की स्थिति सुधारने और इनके ठीक से संचालन के लिए सोसाइटी का गठन किया जाए।

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा ईएसआई में चिकित्साधिकारियों (एलोपैथिक) के रिक्त 38 पदों के सापेक्ष 25 अभ्यर्थियों के चयन की संस्तुति शासन को उपलब्ध करा दी है। उक्त चयनित अभ्यर्थियों के उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की जांच एवं सत्यापन हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग को शासन के पत्र दिनांक 30–5–2018 एवं अनुस्मारक दिनांक 5–6–2018 द्वारा प्रेषित किये गये हैं। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि ईएसआई में चिकित्साधिकारियों की कमी एवं सत्यापन/जांच में हो रहे विलम्ब के दृष्टिगत् कतिपय प्रतिबन्ध/शर्तों के अधीन उक्त संस्तुत/चयनित चिकित्साधिकारियों में

से 24 (01 अभ्यर्थी के विरूद्ध आपराधिक जांच लम्बित होने के दृष्टिगत) को नियुक्ति दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है एवं शीघ्र ही उनके नियुक्ति आदेश निर्गत किये जायेंगे।

औषधालयों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में राज्य में जनपद देहरादून के विकासनगर, गुनियाल गांव, जनपद हरिद्वार के मंगलौर, जनपद नैनीताल के रामनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल के टिहरी एवं पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में औषधालयों की स्थापना की जानी है, जिसके स्थापना हेतु किराया औचित्य प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु निदेशक ईएसआई के स्तर से सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि जनपद देहरादून के विकासनगर एवं टिहरी गढ़वाल में औषधालय स्थापना हेतु किराये पर भवन लिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर कतिपय बिन्दुओं पर परिलक्षित कमियों के निराकरण हेतु निदेशक, ईएसआई को प्रेषित पत्रों दिनांक 16–5–2018 एवं 4–4–2018 के क्रम में निदेशक ईएसआई का उत्तर प्रतीक्षित है पुनः अनुस्मारक भेजा जा रहा है।

ईएसआई अस्पतालों की स्थति सुधारने और इनके ठीक से संचालन के लिए ईएसआई सोसाईटी के गठन सम्बन्धी पत्रावली विभागीय मंत्री जी के स्तर पर विचाराधीन है।

विशेष उपचार के लिए नीजि अस्पतालों को Impanel किए जाने हेतु आवेदन पत्र मांगे गए हैं तथा शीघ्र ही यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

निदेशक ईएसआई द्वारा अवगत कराया गया है कि 12 नये निजी अस्पतालों का इम्पैनल किया गया है। योजना के केन्द्रों के निकट नगद रहित योजना के तहत पैथोलॉजिकल एवं रेडियोलॉजिकल सुविधाएं प्रदान करने हेतु निजी पैथोलॉजिकल एवं रेडियोलॉजिकल केन्द्रों को इम्पैनल किये जाने हेतु प्रदेश के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन कर दिया गया है। प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में प्राप्त 5 आवेदन के परीक्षण का कार्य निदेशक ईएसआई के स्तर पर गतिमान है।

ई.एस.आई. डिस्पेंसरियों के समय में उद्यमियों की मांग को देखते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इनके समय में परिवर्तन हेतु विभाग द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

ईएसआई डिस्पेंसरियों के समय में परिवर्तन सम्बन्धी उद्यमियों की मांग को दखते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इनकेसमय में परिवर्तन के सम्बन्ध में उच्च स्तर पर लिये गये निर्णय के अनुसार ईएसआई औषधालयों का समय पुनः 9 से 4 बजे किया गया है।

सेलाकुई में पूर्व से ही ई.एस.आई. अस्पताल की स्थापना की जा रही है और निर्धारित मानकों के अनुसार लांघा रोड़ में ई. एस.आई. डिस्पेंसरी की स्थापना नहीं हो सकती। विकासनगर में ई.एस.आई. डिस्पेंसरी की स्थापना की स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जिलाधिकारी से किराया औचित्य प्रमाण पत्र

जनपद देहरादून के सेलाकुई में पूर्व से ही औषधालय संचालित किया जा रहा है तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किये गये सर्वेखण के आधार पर लांघा रोड़ पर मानकों के अनुरूप औषधालय खोला जाना सम्भव नहीं है, जिसके स्थान पर जनपद देहरादून के विकासनगर में औषधालय स्थापना की स्वीकृति के क्रम में भवन को किराये पर लिये जाने हेतु किराये की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु निदेशक ईएसआई के प्रस्ताव पर कतिपय बिन्दुओं पर परिलक्षित

मांगा गया है। प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर किराए में भवन लेकर डिस्पेंसरी की स्थापना शीघ्र ही कर दी जाएगी।

सेलाकुई में ई.एस.आई. अस्पताल का निर्माण सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा किया जा रहा है। निर्माण कार्य में विलम्ब को संज्ञान में लेते हुए विभाग अनुश्रवण कर कार्य में गति लाने हेतु उचित कार्यवाही करे।

यह निर्देश दिए गए कि राज्य कर्मचारी बीमा निगम से सम्बन्धित सभी प्रकरणों में अध्यतन प्रगति सहित पूर्ण विवरण प्रमुख सचिव, एम0एस0एम0ई0 को उपलब्ध कराया जाए, ताकि राज्य सरकार की ओर से उन पर फालोअप किया जा सके।

कमियों के निराकरण हेतु निदेशक ईएसआई को पत्र दिनांक 16–5–2018 के क्रम में निदेशक, ईएसआई के उत्तर प्रतीक्षित हैं।

ईएसआई अस्पतालों हेतु आवंटित भूमि पर निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में हो रहे विलम्ब के दृष्टिगत् मामले की समीक्षा स्वयं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा की जा रही है। तत्क्रम में दिनांक 25–6–2018 को पूर्वान्ह् 11 बजे मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में बैठक प्रस्तावित है। उक्त बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु निदेशक, ईएसआई को शासन के पत्र दिनांक 14–6–2018 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

सम्बन्धित विभाग द्वारा अपेक्षित विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे एम.एस.एम.ई. विभाग की ओर से उन पर फालोअप नहीं किया जा सका है।

एजेण्डा बिन्दु सं०–3 <u>जिला उद्योग मित्र समितियों द्वारा सन्दर्भित प्रकरण/बिन्दुः–</u>

- इलैक्ट्रिकल औद्योगिक आस्थान स्यालीधार को विकसित किये जाने पर विचारः

  जनपद अल्मोड़ा में अवस्थित औद्योगिक आस्थान स्यालीधार जिसका कुल क्षेत्रफल 17.64 एकड़ है जनपद से लगभग 5 कि.मी. की दूरी पर अल्मोड़ा–रानीखेत मुख्य मोटर मार्ग पर अविकसित अवस्था में है। वर्तमान में आस्थान की समस्त भूमि बंजर एवं अविकसित है, इसलिये विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा उद्योग स्थापना से इतर अलग–अलग प्रयोजन से प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में रोजगार एवं उद्योग स्थापना की दृष्टि से अतिमहत्वपूर्ण अविकसित इस औद्योगिक आस्थान की भूमि को विकसित किया जाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि इस आस्थान पर उद्योग स्थापनार्थ कई उद्यमियों के प्रस्ताव पूर्व में भी प्राप्त हुए हैं। जिला उद्योग मित्र समिति द्वारा इस औद्योगिक आस्थान को विकसित किये जाने हेतु शासन/निदेशालय को जिलाधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके अनुपालन में आस्थान को सिडकुल के माध्यम से विकसित कराये जाने हेतु महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्र संख्याः 2466–68 दिनांक 16–3–2018 द्वारा निदेशालय को पत्र प्रेषित किया गया है।

- हिल्ट्रान को औद्योगिक आस्थान विण पिथौरागढ़ में हिल्ट्रान को दी गई भूमि पर मिनी औद्योगिक आस्थान की स्थापनाः

  जिला उद्योग केन्द्र, पिथौरागढ़ परिसर में पूर्व से हिल्ट्रॉन को इलैक्ट्रॉनिक उद्योगों को बढ़ावा देने

के उद्देश्य से साठ नाली भूमि दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा दो शेड़ों का निर्माण कर औद्योगिक इकाईयां स्थापित की गई थी। वर्तमान में यह शेड व उक्त भूमि का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है तथा हिल्ट्रॉन द्वारा गतिविधियां बन्द कर दी गई है, जिसका कोई उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है। वर्तमान में जिला उद्योग परिसर में उपलब्ध भूमि पर भी एक मिनी औद्योगिक आस्थान का प्रस्ताव है, जिसमें कार्यालय के समीप उपलब्ध भूमि व हिल्ट्रॉन को दी गई भूमि व शैड को सम्मिलित करते हुए प्रस्ताव दिया जाना उचित होगा। इस सम्बन्ध में सदस्य सचिव द्वारा बैठक में प्रस्ताव रखा गया कि यदि हिल्ट्रॉन को दी गई भूमि व शैड हिल्ट्रॉन द्वारा विभाग को वापिस कर दिये जाते हैं, तो उक्त 60 नाली भूमि व विभाग में उपलब्ध भूमि को सम्मिलित करते हुए एक मिनी औद्योगिक आस्थान का प्रस्ताव दिया जा सकता है।

- नारंगी श्रेणी की इकाईयों की स्थापना हेतु अनापत्ति/सहमति जारी किये जाने के लिए पर्यावरणीय प्रभाव क्षमतांकन समिति (**EIAC**) का गठनः

एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु विभिन्न विभागों से वांछित स्वीकृतियों/अनापत्ति/अनुज्ञां आदि के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्राप्त हो रही है, किन्तु नारंगी श्रेणी की इकाईयों को Environmental Impact Assessment Committee का गठन न होने से Clearance नहीं मिल पा रहे हैं। क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया है कि जनपद देहरादून में दूनवैली एक्ट प्रभावी है, जिस कारण नारंगी श्रेणी की इकाईयों की स्थापना हेतु Environmental Clearance प्राप्त करना अनिवार्य है, जो Environmental Impact Assessment Committee के स्तर से जारी किया जाता है, जिसका प्रदेश में अभी तक गठन नहीं हुआ है। अतः अनुरोध है कि प्रदेश में Environmental Impact Assessment Committee के गठन हेतु प्रकरण को राज्य स्तरीय उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति के विचारार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु रखने का कष्ट करेंगे, ताकि कमेटी के गठन के उपरान्त जनपद में नारंगी श्रेणी की इकाईयों की स्थापना हेतु Environmental Clearance प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त हो सके। ऐसा होने पर प्रदेश में पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिलने के साथ–साथ रोजगार के अवसर भी सुलभ होंगे।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 7–3–2016 से उद्योगों के सामंजस्यीय वर्गीकरण, यथाः लाल, नारंगी, हरा तथा सफेद श्रेणी के लिए सहमति प्रणाली से सम्बन्धित निर्देशों के दूनघाटी क्षेत्र में लागू किये जाने के सम्बन्ध में सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय आदेश दिनांक 3–5–2016 से यह निर्देश जारी किये गये हैं कि भारत सरकार द्वारा उद्योग क्षेत्र के जारी वर्गीकरण दूनघाटी क्षेत्र को छोड़कर राज्य के सभी क्षेत्र में लागू होगा। दूनघाटी क्षेत्र में इसके लागू न होने से हरित तथा सफेद श्रेणी के उद्योगों की स्थापना के लिए अनापत्ति प्राप्त करनी पड़ रही है। Ease of Doing Business की भावना के अनुरूप आवेदनों के शीघ्रता से निस्तारण हेतु उद्योगों के लिए भारत सरकार द्वारा जारी उक्त वर्गीकरण को दूनघाटी क्षेत्र में भी लागू किया जाना आवश्यक है।

- कर्मचारी राज्य बीमा योजना के निर्माणधीन चिकित्सालय के सम्बन्ध मेंः

जिलाधिकारी, उद्यमसिंहनगर के प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून को प्रेषित पत्र संख्या–456 दिनांक 7–6–2018, जिसकी प्रति उद्योग निदेशालय को प्रेषित की गई है, से यह अवगत कराया है कि दिनांक 22–2–2018 को आयोजित जिला स्तरीय उद्योग मित्र की बैठक में

यह संज्ञानित किया गया कि जनपद में स्थापित औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत् श्रमिकों के हित में ईएसआई चिकित्सालय की स्थापना नहीं हो पा रही है, जिस कारण कार्यरत् श्रमिकों को अपने उपचार में अत्यधिक धनराशि व्यय करनी पड़ रही है। श्रमिकों को आर्थिक रूप से अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में औद्योगिक परिसंघों एवं औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों द्वारा भी आपके संज्ञान में उक्त प्रकरण को लाया गया। आपके द्वारा उपस्थित ईएसआई चिकित्सालय के प्रबन्धक को ईएसआई चिकित्सालय की स्थापना के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई। ईएसआई चिकित्सालय के प्रबन्धक द्वारा अपने पत्र संख्या–61–शा.का./रूद्रपुर/अस्पताल भूमि/2016 दिनांक 1–5–2018 से अवगत कराया है कि निर्माणाधीन ई.एस.आई.सी. अस्पताल का निर्माण सी.पी.डब्लू.डी. के द्वारा किया जा रहा है। इस निर्माणाधीन अस्पताल के साईट इन्चार्ज के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त अस्पताल का निर्माण तीव्र गति से किया जा रहा है, जो कि मॉह 31–12–2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में ईएसआई प्रबन्धक द्वारा लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर केन्द्रीय उपमण्डल का पत्र अपने पत्र के साथ संलग्न कर यह अवगत कराया गया है कि उक्त अस्पताल के निर्माण हेतु करार के अनुसार कार्य फरवरी, 2019 तक पूर्ण करना है, परन्तु सी.पी.डब्लू.डी. विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्य को तत्समय सीमा से पूर्व ही सम्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी तिथि 31–12–2018 तक नियत की गई है। अतः अनुरोध है कि औद्योगिक संघों व औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों के अनुसार पर जनपद में स्थापित समस्त औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत् श्रमिकों को चिकित्सकीय लाभ हेतु जनपद व प्रदेश के प्रमुख चिकित्सालयों को एम्पैनल्ड किया जाना उचित होगा, ताकि औद्योगिक इकाईयों के कर्मचारियों एवं श्रमिकों को इसका हितलाभ प्राप्त हो सके।

- जिला विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आच्छादित परिक्षेत्र में होटल/रिसॉर्ट के लिए न्यूनतम 20 कक्षों से कम कमरों के होटलों के मानचित्र की स्वीकृतिः

  विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 में होटल उद्योग को उपादान हेतु न्यूनतम 8 कमरे होने अर्हता निर्धारित है, जबकि झील विकास प्राधिकरण नैनीताल (वर्तमान में जिला विकास प्राधिकरण) के परिक्षेत्र में निर्मित किये जाने वाले होटल/रिसॉर्ट हेतु न्यूनतम 20 कमरे होने आवश्यक है, जिससे प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाले होटल उद्योगों को नक्शा पास न होने के कारण पर्वतीय नीति/एम.एस.एम.ई. नीति का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

- सोप स्टोन के भण्डारण को लाइसेन्स मुक्त रखे जाने के सम्बन्ध मेंः

  उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–1771/सात–1/16–68–ख/15 दिनांक 19–11–2016 द्वारा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) संशोधन नियमावली 2015 यथा संशोधित 2016 के नियम 9 अतिरिक्त प्राविधानानुसार पल्वराईजर धारक एवं सोपस्टोन ट्रेडर को खनिज भण्डारण हेतु इस नियमावली के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत भण्डारण अनुज्ञां प्राप्त करना आवश्यक है, के सम्बन्ध में जिन उद्योगों का कच्चा माल मैग्नेसाइट व सोपस्टोन लम्प्स है, को भण्डारण लाइसेन्स से मुक्त रखा जाये।

एजेण्डा बिन्दु सं०–4 <u>विभिन्न औद्योगिक संघों/संगठनों से प्राप्त सुझाव एवं समस्यायें:–</u>

- एकीकृत औद्योगिक आस्थान, पनतनगर में पार्किंग व्यवस्था के सम्बन्ध में:

  औद्योगिक आस्थान में स्थापित औद्योगिक इकाईयों के कच्चे एवं तैयार माल को लाने–ले जाने में प्रयुक्त वाहनों की संख्या को देखते हुए पार्किंग हेतु सुरक्षित रखी गयी 25 एकड़ भूमि भी पर्याप्त नहीं है। इसके विपरीत जानकारी में आया है कि अब सिडकुल द्वारा पार्किंग हेतु मात्र 10 एकड़ जमीन ही उपलब्ध करायी जा रही है जिस पर किसी भी स्थिति में औद्योगिक आस्थान की गतिविधियों में लगे वाहनों की पार्किंग के उद्देश्य की पूर्ति सम्भव नहीं है। अतः पार्किंग हेतु कम से कम 25 एकड़ भूमि का उपलब्ध कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

- उत्तराखण्ड राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अस्पतालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में:

  राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों तथा उसके आस–पास स्थापित उद्योगों में कार्यरत सभी श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्तर्गत पंजीकृत है। श्रमिकों को समुचित रूप से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उद्योगों के साथ ही श्रमिकों का अंशदान भी नियमित रूप से कर्मचारी राज्य बीमा निगम में जमा कराया जाता है। उसके बावजूद इन क्षेत्रों में निगम द्वारा श्रमिकों को समुचित रूप से चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध नहीं करायी जा रही है, जिससे श्रमिकों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

- औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित ईएसआई औषधालयों में प्राथमिक सुविधाओं का अभावः

  राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों के उद्योगों में कार्यरत् कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के नाम पर कुछ जगहों में सुविधाविहीन औषधालय है, जिसमें मरीजों के बैठने तथा गाडियों की पार्किंग के लिए भी पर्याप्त स्थान नहीं है। औषधालय में एक लम्बे अरसे से पर्याप्त स्टॉफ एवं डाक्टरों की कमी के कारण श्रमिकों को समुचित उपचार नहीं मिल पा रहा है, जिसका खामियाजा उद्योग एवं श्रमिक दोनों को ही भुगतना पड़ रहा है।

- राज्य बीमा निगम द्वारा अनुबन्धित चिकित्सालयों में बीमित कर्मचारियों की चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति न किये जाने के सम्बन्ध में:

  उद्यमसिंहनगर के जनपद मुख्यालय, रूद्रपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अनुबन्धित किये गये निजी अस्पताल निगम द्वारा उनके खर्चों का समय से भुगतान न किये जाने के कारण बीमित कर्मचारियों की चिकित्सा में रूचि नहीं ले रहे हैं। वे इलाज हेतु नकद धनराशि का आश्वासन मिलने के उपरान्त ही मरीज के उपचार की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हैं अन्यथा अन्यत्र रेफर कर देते हैं। इससे मरीज के उपचार में अवांछित व्यय एवं अनावश्यक विलम्ब हो जाता है। अन्ततोगत्वा इसका खामियाजा कम्पनी एवं पीड़ित दोनों को ही भुगतना पड़ता है।

दिनांक 8 फरवरी, 2014 को तत्कालीन श्रम एवं रोजगार मंत्री, भारत सरकार द्वारा हरिद्वार में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य के गढ़वाल मण्डल हेतु हरिद्वार में तथा कुमांऊ मण्डल हेतु रूद्रपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अस्पताल के निर्माण हेतु उद्घाटन भी किया जा चुका है। रूद्रपुर में अस्पताल के निर्माण हेतु भूमि का चयन भी कर लिया गया है तथा जानकारी में आया है कि केन्द्र द्वारा निर्माण हेतु वांछित धनराशि भी स्वीकृत कर दी गई है। उसके बावजूद अस्पताल का निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं कराया गया है।

- एकीकृत औद्योगिक आस्थान, पन्तनगर में सड़कों की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में:

एकीकृत औद्योगिक आस्थान, सिडकुल, पन्तनगर के सैक्टर–9 एवं 10 में शिरडी चौक से मैटलमैन माईक्रो टर्नर्स तक, मैटलमैन माईक्रो टर्नर्स से सनसेरा इंजीनियरिंग प्रा.लि. तक तथा बडवे इंजीनियरिंग से हाई टैक्नोलॉजी ट्रांसमिशन सिस्टम तक लगभग 87 स्थानों पर सड़कें अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। अन्य सैक्टरों में भी कमोबेश यही स्थिति है। सड़कों में गहरे गड्ढ़े होने के कारण यहां पर हर समय दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।

- एकीकृत औद्योगिक आस्थान, सिडकुल, पन्तनगर में स्ट्रीट लाईटों की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में:

एकीकृत औद्योगिक आस्थान, पन्तनगर में रात्रि में पथ प्रकाश हेतु लगी अधिकांश स्ट्रीट लाईटें एक लम्बे अरसे से कार्य नहीं कर रही हैं। कुछ समय पूर्व सिडकुल स्थित हमारे सदस्यों की टीम द्वारा रात्रि में किये गये निरीक्षण के दौरान बजाज ऑटो लि. से शिरडी चौक तक लगे 25 खम्भों पर, शिरडी चौक से मैटलमैन माईक्रो टर्नर्स तक लगे 50 खम्भों में 22 खम्भों पर, मैटलमैन माईक्रो टर्नर्स से सनसेरा इंजीनियरिंग तक लगे पूरे के पूरे 25 खम्भों पर, बडवे इंजीनियरिंग से एल जी बालाकृष्णन तक लगे 25 खम्भों में से 11 खम्भों पर तथा औरंगाबाद इलैक्ट्रिकल्स लि. से एण्ड्यूरेन्स टैक्नोलोजीज लि. तक लगे 25 खम्भों में से 13 खम्भों पर स्ट्रीट लाईटें एक लम्बे अरसे से कार्य नहीं कर रही हैं। इस प्रकार उक्त 150 खम्भों पर मात्र 66 लाईटें काम कर रही हैं जबकि लगभग 96 लाईटें खराब हैं। बिजली के खम्भे भी जंग लगने के कारण धीरे–धीरे जर्जरता की स्थिति में पहुंचने लगे हैं। सम्बन्धित क्षेत्रों में रात्रि में अन्धेरा रहने के कारण श्रमिकों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं असामाजिक तत्वों द्वारा रात्रि में सड़कों पर अन्धेरा होने के कारण श्रमिकों के साथ मारपीट एवं पर्स, मोबाईल इत्यादि लूटे जाने की घटनाएं आम हो गयी हैं।

- सिडकुल औद्योगिक आस्थानों में स्थित उद्योगों द्वारा बैंक परिवर्तन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में:

सिडकुल औद्योगिक आस्थानों में स्थित उद्योगों द्वारा अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक परिवर्तन करने हेतु सिडकुल से अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेना पड़ता है। चूंकि अनापत्ति प्रमाण–पत्र सिडकुल मुख्यालय, देहरादून से ही जारी किये जाते हैं। अतः प्रमाण–पत्र जारी करने की प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लगता है, जिससे उद्यमियों के वित्तीय मामलों में अनावश्यक रूप से विलम्ब होता है।

- एल्डिको–सिडकुल औद्योगिक पार्क, सितारगंज में सड़कों, स्ट्रीट लाईटों, पार्किंग आदि समस्याओं के सम्बन्ध में:

  एल्डिको सिडकुल औद्योगिक पार्क, सितारगंज को जोड़ने वाले मुख्य रोड़, सितारगंज से औद्योगिक पार्क तक की स्थिति अत्यन्त खराब हो गयी है। सड़क में गहरे गड्ढ़े होने के कारण औद्योगिक वाहनों के आवागमन में अत्यधिक परेशानी के साथ–साथ दुर्घटनाओं की सम्भावनाएं भी अधिक बढ़ गयी हैं। इसके साथ ही औद्योगिक आस्थान की आन्तरिक सड़के भी जहां–तहां क्षतिग्रस्त हो गयी हैं।

  सिडकुल, पन्तनगर की तरह ही एल्डिको सिडकुल औद्योगिक पार्क, सितारगंज में भी वाहनों की पार्किंग हेतु भूमि सुरक्षित रखी गयी थी लेकिन अभी तक उसमें पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण औद्योगिक वाहन आस्थान में ही जहां तहां खड़े रहते हैं, जिससे आवागमन में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।

- सिडकुल औद्योगिक आस्थान, बाजपुर–1 (पिपलिया, सुल्तानपुर पट्टी) की समस्याओं के सम्बन्ध में:

  बाजपुर–1, पिपलिया, सुल्तानपुर पट्टी में यूपीएसआईडीसी द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थान, सिडकुल को कई वर्ष हस्तांतरित किया जा चुका है तथा तभी से आस्थान के अवस्थापना विकास हेतु सिडकुल द्वारा औद्योगिक इकाईयों से मेन्टीनेंस चार्ज लिया जा रहा है। कुछ समय पूर्व सिडकुल द्वारा उक्त आस्थान में अवस्थापना विकास कार्यों की शुरूआत तो की गई परन्तु शुरूआत करते ही काम बन्द कर दिया गया।

  बाजपुर–1, सुल्तानपुर पट्टी के औद्योगिक आस्थान में एक लम्बे समय से विकास एवं रख–रखाव कार्य न होने से नालियों, सड़कों तथा स्ट्रीट लाईटों का अस्तित्व लगभग समाप्त सा हो गया है, जिससे आस्थान में स्थापित औद्योगिक इकाईयों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

- काशीपुर स्थित उद्योग विभाग के औद्योगिक आस्थान में सड़कों की मरम्मत व नालियों की सफाई के सम्बन्ध में:

  काशीपुर स्थित औद्योगिक आस्थान में सड़कों एवं नालियों के ध्वस्त होने से बरसात का पानी कई उद्योगों के परिसरों में ही भर जाता है। पम्पिंग सैटों द्वारा पानी बाहर निकालना पड़ता है। इससे जहां एक ओर इन इकाईयों का उत्पादन कई दिनों तक बाधित रहता है वहीं दूसरी ओर उनका तैयार माल भी खराब हो जाता है।

- कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए सिडकुल की इकाईयों पर शुल्क लगाये जाने के सम्बन्ध में:

  दिनांक 29 मई, 2015 को आयोजित सीडा की 8वीं बैठक में सिडकुल की औद्योगिक द्वारा कम्पलीशन सर्टिफिकेट लिये जाने पर उत्पादन शुरू होने की तिथि से प्रतिवर्ष रू. 4 प्रति

वर्गमीटर की दर से कम्पलीशन शुल्क लागू दिया गया है।

इकाईयों द्वारा सीडा से भवन निर्माण हेतु नक्शा पास कराये जाने के समय निर्धारित शुल्क अदा करना होता है उसके अतिरिक्त कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु शुल्क लगाना न्यायोचित नहीं है। यह धनराशि इतनी बड़ी है कि इसका भुगतान करना हर इकाई के वश का नहीं है। पूर्व में इस पर कोई शुल्क देय नहीं था।

- इकाईयों द्वारा एग्रीमेन्ट किये जाने के बाद भी सीईटीपी से कनेक्ट न किये जाने के सम्बन्ध में:

एकीकृत औद्योगिक आस्थान, पन्तनगर में कार्यरत् कुछ इकाईयों द्वारा कॉमन एफ्ल्यूएंट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) की कार्यदायी संस्था के कसाथ एग्रीमेन्ट किये जाने के बावजूद भी उन्हें सीईटीपी से कनेक्ट नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

- फैक्ट्री लाईसेन्स में की गयी 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के निर्णय को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में:

वर्ष 2015 में श्रम विभाग द्वारा तत्समय निर्धारित फैक्ट्री लाईसेंस की फीस को एकदम दोगुना कर आगामी प्रत्येक वर्ष हेतु 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गयी जो किसी भी स्थिति में न्यायोचित नहीं है। देश के अन्य किसी भी राज्य में इस तरह का कोई प्राविधान नहीं है।

- पन्तनगर एयरपोर्ट से वायु सेवा का नियमित संचालन एवं पर्याप्त दृश्यता हेतु आवश्यक उपकरण स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में:

सिडकुल द्वारा विकसित एकीकृत औद्योगिक आस्थान, पन्तनगर, रूद्रपुर, सितारगंज व आस–पास के क्षेत्रों में एक बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाईयां कार्यरत् हैं। इकाईयों के प्रतिनिधियों का कम्पनियों के कार्यों से देश के विभिनन शहरों व विदेशों में आना–जाना रहता है। पन्तनगर एयरपोर्ट से दिल्ली व देहरादून के लिए वायु सेवा की उपलब्धता सप्ताह में मात्र 4 दिन होने के कारण उद्यमियों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त पन्तनगर एयरपोर्ट पर आवश्यक उपकरणों के अभाव में जाड़े के मौसम में दृश्यता कम होने के कारण उड़ाने रद्द कर दी जाती हैं, जिससे उद्यमियों को और भी अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।पन्तनगर में कुमांऊ मण्डल का एकमात्र एयरपोर्ट स्थित है तथा औद्योगिक दृष्टिकोण से पन्तनगर एयरपोर्ट से वायु सेवा का नियमित संचालन अत्यन्त आवश्यक है। इससे जहां एक ओर उद्योगों के व्यापारिक कार्य सुगमतापूर्वक सम्पन्न हो सकेंगे वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

- अवस्थापना विकास:

आई.एस.बी.टी. से रिस्पना पुल तक हरिद्वार–बाईपास रोड़ का निर्माण मार्च, 2014 तक पूर्ण होना था, किन्तु रेलवे क्रासिंग से आई.एस.बी.टी. तक बाईपास रोड़ के निर्माण का कार्य अभी भी अधूरा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग–72 देहरादून–छुटमलपुर–रूड़की के चौड़ीकरण का कार्य न होने से सार्वजनिक भार वाहनों के आवागमन से जाम की स्थिति बनी रहती है तथा अवकाश के दिनों में आने वाले पर्यटक भी जाम में फसें रह जाते हैं। इस राजमार्ग के चौड़ीकरण का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना आवश्यक है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से देहरादून–दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण का कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

देहरादून–हरिद्वार हाईवे के लम्बित 45 कि.मी. निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाए।

देहरादून–सहारनपुर हाईवे पर डाटकाली मन्दिर के पास दूसरे टनल का निर्माण कार्य युद्धस्तर पर कर इस कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाए।

- जैव विविधता बोर्ड द्वारा अधिरोपित सेस के सम्बन्ध में:

भारत सरकार द्वारा अधिनियमित जैविक अधिनियम 2002 तथा द्विपक्षीय नियम 2004 उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड ने राज्य में लागू करते हुए सभी उद्योगों पर 5 प्रतिशत सेस लगाये जाने की सूचना देते हुए उद्योगों को बड़े पैमाने पर नोटिस जारी किये हैं, ताकि उन्हें उचित सूची के बिना अपने कानूनी दायित्वों को पूरा करने और जैव विविधता के प्रकार को सूचित किये बिना कानूनों दायित्वों को पूरा करने के लिए कहा जा सके। इसके लिए जैव विविधता बोर्ड ने इसके मूल्यवर्धन को राज्य में भी इस अधिनियम के तहत शामिल किया है। चूंकि कृषि खाद्य प्रसंस्करण और हर्बल आधारित उद्योग उत्तराखण्ड की रीढ़ हैं और इस अधिनियम के तहत सेस लागू करने से पूर्व हमें उन उद्योगों की पहचान करने की आवश्यकता है, जिन्हें सेस की इस लेवी से मुक्त किया जाना चाहिए और केवल लुप्त प्रायः जैविक विविधता संसाधनों को सूचीबद्ध कर उन्हें इसके अन्तर्गत आच्छादित किया जाए।

- बैंकों से वित्त पोषण:

राज्य के उद्यमियों को सिडबी तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सी.जी.टी.एफ.एम.एस.ई. योजना, स्टैण्डअप तथा मुद्रो योजना के अन्तर्गत वित्त पोषण की सुविधा न मिलने से उद्यमी उद्योग स्थापना नहीं कर पा रहे हैं। सिडबी तथा बैंकों को वित्त पोषण के लिए निर्देश दिये जाने आवश्यक हैं। रूग्ण सूक्ष्म व लघु इकाईयों के पुर्नवासन हेतु राज्य सरकार की नीति लागू न होने से रूग्णता की ओर अग्रसर होने वाले तथा रूग्ण इकाईयों के पुर्नवासन पैकेज तैयार करने और रूग्ण इकाईयों के पुर्नजीवीकरण का कार्य नहीं किया जा रहा है। सूक्ष्म व लघु रूग्ण इकाईयों के पुर्नवासन के लिए शीघ्र ही नीति घोषित की जानी आवश्यक है।

- विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 (यथा संशाधित–2011) के अन्तर्गत मूल्यवर्धित कर की प्रतिपूर्ति:

पर्वतीय नीति–2008 के अन्तर्गत मूल्यवर्धित कर में छूट प्राप्त कर रही इकाईयों द्वारा नीति के प्राविधानों के तहत 10 प्रतिशत वैट कर विभाग में जमा किया जा रहा था तथा अवशेष 90 प्रति कर विभाग को उद्योग विभाग द्वारा सीधे प्रतिपूर्ति की जा रही थी। उद्योग निदेशालय

द्वारा कर विभाग को वैट की प्रतिपूर्ति का भुगतान सीधे किये जाने के बाद कर विभाग द्वारा पात्र इकाईयों को कर के भुगतान के लिए नोटिस जारी किये जा रहे हैं तथा उनके कर दावों का मूल्यांकन (Assessment) नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में कर विभाग को आवश्यक निर्देश दिये जाने जरूरी हैं।

- क्रय वरीयता नीति का प्रभावी क्रियान्वयनः

  सूक्ष्म व लघु उद्यमों के लिए जारी क्रय वरीयता नीति–2014 का राजकीय विभागों/संस्थाओं/उपक्रमों, यथाः उरेड़ा, पशुपालन विभाग आदि द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है तथा विभाग टर्नओवर/अनुभव की शर्तें लगाकर राज्य के सूक्ष्म व लघु उद्यमों को निविदा में भाग लेने से वंचित कर रहे हैं। निवेदन है कि क्रय वरीयता नीति का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाए।

- एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य/जिला प्राधिकृत समिति से जारी सैद्धांतिक स्वीकृति के उपरान्त उद्यम स्थापना हेतु वास्तविक स्वीकृति/अनुज्ञां के समयबद्ध निकासी हेतु अनुश्रवण/समीक्षा के सम्बन्ध मेंः

  जिला स्तर पर जिला प्राधिकृत समिति से उद्यमियों द्वारा दाखिल किये गये कॉमन एप्लीकेशन पर उनके निस्तारण हेतु समय सारणी के अनुसार कार्यवाही नहीं हो पा रही है। जनपद देहरादून, नैनीताल, उद्यमसिंहनगर, हरिद्वार तथा अन्य जनपदों में दाखिल किये गये कुछ कॉमन एप्लीकेशन 1–2 मॉह से अधिक की अवधि से अनिस्तारित पड़े हुए हैं। राज्य प्राधिकृत समिति जिला स्तर पर एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के दाखिल कॉमन एप्लीकेशन के समयबद्ध निस्तारण हेतु इनकी समीक्षा राज्य स्तर पर की जाये, ताकि यह ज्ञात हो सके कि आवेदक द्वारा कब आवेदन किया गया था, कब जिला उद्योग केन्द्र से आवेदन को आख्या/अभिमत हेतु सम्बन्धित विभाग को अग्रसारित किया गया, कब सम्बन्धित विभाग की टिप्पणी/आख्या प्राप्त हुयी और कब जिला प्राधिकृत समिति द्वारा उद्योग की स्थापना के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी। सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त इकाईयों को वास्तविक स्वीकृति/अनुमति/अनुज्ञां प्राप्त करने के लिए भी सभी विभागों में एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने की व्यवस्था कर इसकी भी समीक्षा की जानी आवश्यक है, ताकि यह ज्ञात हो सके कि उद्यम स्थापना हेतु वांछित स्वीकृतियां समयबद्ध रूप से प्राप्त हो रही हैं अथवा नहीं।

- सिडकुल तथा उद्योग विभाग के औद्योगिक आस्थानों में भूखण्डों के हस्तांतरण/लीज पर दिये जाने पर अधिरोपित लेवी में छूट दिये जाने के सम्बन्ध मेंः

  सिडकुल तथा उद्योग विभाग के औद्योगिक आस्थानों में भूखण्डों के हस्तांतरण/किराया में दिये जाने पर वर्तमान निर्धारित दरों/बाजार मूल्य का 15–30/40 प्रतिशत तक की हस्तांतरण/किराया लेवी निर्धारित होने से छोटे उद्यमी उद्योग स्थापना के लिए भूखण्ड नहीं ले पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जो भूखण्ड पूर्व में आवंटी को आवंटित किया गया था तथा जिसे वह हस्तांतरित/किराये पर देना चाहता है, की दरें/बाजार मूल्य पूर्व में काफी कम था और इन दरों में सिडकुल/उद्योग विभाग ने वर्तमान में काफी बढ़ोत्तरी कर दी है तथा इनके

बाजार मूल्य भी काफी अधिक निर्धारित हैं। लेवी की दर बढ़ने से बढ़ी हुई दरों/बाजार मूल्य के आधार पर काफी अधिक धनराशि लेवी के रूप में दिये जाने से उद्यमियों के प्रोजैक्ट की वाईबिलिटी भी प्रभावित हो रही है। सिडकुल तथा उद्योग विभाग के भूखण्डों के हस्तांतरण/किराया पर दिये जाते समय उचित लेवी (5–10 प्रतिशत) ली जाए, ताकि उद्यमी को अपने उद्योग के संचालन में आर्थिक कठिनाई न हो।

- राज्य स्तरीय समति से स्वीकृत केन्द्रीय पूंजी निवेश उपादान दावों के समयबद्ध रूप से संवितरण के सम्बन्ध में:

  भारत सरकार की केन्द्रीय पूंजी निवेश योजना–2003/2013 के अन्तर्गत राज्य स्तरीय समिति से स्वीकृत दावों के भुगतान हेतु संवितरण एजेन्सी सिडकुल को मार्च, 2018 के अन्त में धनराशि अवमुक्त की गयी थी और भारत सरकार के यह निर्देश थे कि एक सप्ताह में अवमुक्त धनराशि सम्बन्धित इकाईयों को ई–ट्रांसफर के जरिये वितरित कर दी जाए। महोदय आपके संज्ञान में यह लाना है कि उक्त दावे 2 वर्ष पूर्व राज्य स्तरीय समिति से स्वीकृत हुए थे तथा 2 साल बाद भारत सरकार से भुगतान के लिये धनराशि अवमुक्त की गयी है। भारत सरकार के यह निर्देश है कि इकाईयों को भुगतान के लिए अवमुक्त धनराशि वितरण किये जाने से पूर्व 10 प्रतिशत इकाईयों की जांच भी कर ली जाए, किन्तु सिडकुल अपने फील्ड के कर्मचारियों से सभी इकाईयों की जांच करा रहा है और अभी भी रू. 13 करोड़ से अधिक की धनराशि वितरण हेतु लम्बित है। इकाईयों को समय से स्वीकृत उपादान न मिलने से विभाग के प्रति भी नाराजगी है। भारत सरकार से अवमुक्त धनराशि एक सप्ताह में सभी इकाईयों को वितरित कर दी जाए। यदि 10 प्रतिशत इकाईयों की जांच आवश्यक है, तो उनकी संयुक्त जांच जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से की जाए तथा इकाईयों को जांच और जांच में मांगे जाने वाले प्रपत्रों/कागजातों के बारे में जांच से पूर्व ही सूचित कर दिया जाए, ताकि जांच पर इकाई मांगे गये दस्तावेज उपलब्ध करा सकें।

- कालसी में औद्योगिक आस्थान की स्थापना:

  पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हेतु हिल पॉलिसी बनायी गई है। सभी पर्वतीय क्षेत्र कालसी में घेरा कॉलोनी यमुना स्कीम की 7.40 है. जमीन बंजर पड़ी है, जिसमें कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास की अपार सम्भावना है और इस भूमि पर औद्योगिक आस्थान विकसित कर भूखण्ड भावी उद्यमियों को लीज पर दिये जा सकते हैं।

- कर्मकरों की शिक्षा हेतु सैन्ट्रल बोर्ड के क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना:

  राज्य में शान्तिपूर्ण औद्योगिक सम्बन्धों को बनाये रखने के लिए कर्मकरों को शिक्षित करने के साथ–साथ उनके दायित्व एवं अधिकारों की जानकारी देने के लिए केन्द्रीय बोर्ड के क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना की आवश्यकता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के यह केन्द्र हरिद्वार तथा पन्तनगर में स्थापित किये जा सकते हैं। वर्तमान में बोर्ड का कोई कार्यालय राज्य में नहीं हैं, जबकि नार्दन रीजन में जम्मू (जे.के.) तथा परमाणु (हिमांचल प्रदेश) में ऐसे केन्द्र हैं।

- उत्तराखण्ड के होटलों को सुख साधन कर में छूटः

  जी.एस.टी. व्यवस्था लागू होने से पूर्व राज्य के होटल उद्योगों को पांच वर्ष तक के लिए सुख–साधन कर में छूट की सुविधा उपलब्ध थी। जी.एस.टी. व्यवस्था लागू होने के बाद यह छूट नहीं मिल रही है। राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एस.जी.एस.टी. के अन्तर्गत यह छूट दी जा सकती है।

- चावल निर्यात नीति का नवीनीकरणः

  उत्तराखण्ड में कृषि क्षेत्र तथा कृषि आधारित उद्योगों के विकास की व्यापक सम्भावनायें हैं, जिसमें चावल का निर्यात महत्वपूर्ण है। चावल के निर्यात के प्रोत्साहित करने के लिए चावल निर्यात नीति का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है क्योंकि यह नीति दिनांक 30 सितम्बर, 2015 को समाप्त हो गई थी।

एजेण्डा बिन्दु सं०–6 अन्य विषय, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।